राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 44/2025

निर्णय दिनांक :– 21-5-26

हरकू देवी बनाम अचू देवी आदि

राजस्व वाद

1 हरकु देवी पत्नी तोजाराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासीनी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त, मो.नं. 8619076433

– वादीनी

बनाम

1 अचू देवी पुत्री हनुमानाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासीनी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

2 आसूराम पुत्र हनुमानाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

3 खेताराम पुत्र हनुमानाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

4 गीता देवी पुत्री हनुमानाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासीनी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

5 गोविन्दराम पुत्र हनुमानाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

6 चतरी पत्नी हनुमानााम उम्र वयस्क जाति जाट निवासीनी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

7 छोटू देवी पुत्री हनुमानाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासीनी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

8 पुसी देवी पुत्री हनुमानाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासीनी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

9 मीरा पुत्री हनुमानाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासीनी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

10 रूकमा पुत्री हनुमानाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासीनी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

11 नन्दलाल पुत्र रामूराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

12 मघाराम पुत्र रामूराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

13 लिच्छूराम पुत्र रामूराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)

– प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

...राम पुत्र तोजाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर ...जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

लालाराम पुत्र तोजाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

3. सोहनराम पुत्र तोजाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ढाणी रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

– गौण–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का खातेदारी विभाजन

उपस्थित :–

1. अरविन्द चौधरी, लालचन्द जाट एडवोकेट वास्ते वादीनी
2. तहसीलदार, बीदासर वास्ते पैरोकार राज.

दिनांक :– 21-5-26

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने उक्त अनुवानी राजस्व वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि खेत खाता संख्या नया 244 पुराना 60, खेत खसरा नम्बर 1259 तादादी 6.6267 हेक्टेयर, वाके रोही ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उक्त खेत खसरा की भुमि संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत हैं। जिसका विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। जब तक कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार होता है। वाद–पत्र में गौण–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादीनी की संतानें हैं जिनके हित एवं अधिकार वादगत भूमि खेत में वादीनी के समान ही है। वादगत खेत भूमि मे वादीनी हरकु देवी का 1/32 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है तथा गौण–प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का हिस्सा भी वादीनी के समान ही प्रत्येक का 1/32 –1/32 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है। इसके अलावा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 13 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा भूमि की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है। उक्त खेत खसरा भुमि में वादीनी एवं गौण–प्रतिवादीगण का हित समान है वादीनी एवं गौण प्रतिवादीगण के मध्य आपस में माता–पुत्र का संबंध है। वादगत खेत का वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 के मध्य आपस में मौखिक रूप से आपसी तौर पर विभाजन हो रखा है मुताबिक मौखिक विभाजन वादीनी एवं गौण–प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से वादगत खेत के दक्षिणी–पश्चिमी तरफ अपने हिस्से के मुताबिक उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं, परंतु वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही होने के कारण वादीनी को कई प्रकार की कानूनी आपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है, वादीनी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 का खान–पान, रहन–सहन, लेन–देन सब अलग–अलग है तथा वादगत खेत को भी अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे हैं।

वादीनी एवं गौणप्रतिवादीगण 01 ता 03 के हिस्से को संयुक्त रखते हुए वादीनी एवं गौण–प्रतिवादीगण के कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग की भूमि वादगत खेत का विधिवत विभाजन कर वादीनी एवं गौणप्रतिवादीगण का हक हिस्से की भूमि को संयुक्त रखते हुए अलग खाता व अलग लगान कायम किया जावें।

वादीनी का वाद स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25/09/2025 को निर्णय फरमाया जाकर तहसीलदार बीदासर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

...न्यायालय में पेश हुआ, पक्षकारों के अभिभाषक की बहस अंतिम डिक्री हेतु सुनी गई, ...प्रस्ताव के मुताबिक वादीनी का वाद इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि खेत खसरा ...1259 तादादी 6.6267 हेक्टेयर, वाके रोही ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में ...नी व गौण–प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/32 हिस्सा की खातेदारी का विभाजन किये जाने ...का विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादीनी व गौण–प्रतिवादीगण का हिस्सा खेत खसरा नम्बर 1259 मिन तादादी 0.8283 हेक्टेयर भूमि दक्षिणी पाखी की तरफ का राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त रखते हुए अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे। शेष खातेदारों की खातेदारी संयुक्त रखते हुए उतरी पाखी की खातेदारी अलग खसरा संख्या कायम किया जाना उचित है।

आदेश

वादीनी का वाद जरीये विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के अनुसार अंतिम रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा नम्बर 1259 तादादी 6.6267 हेक्टेयर, वाके रोही ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में वादीनी हरकू देवी पत्नी तोजाराम व गौण प्रतिवादीगण भींवाराम, लालाराम, सोहनराम पुत्रगण तोजाराम जाति जाट निवासीगण ढाणी रोही बीदासर का खेत खसरा नम्बर 1259 मिन 0.8283 हेक्टेयर दक्षिणी पाखी राजस्व रिकोर्ड में संयुक्त रखते हुए अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे। शेष भूमि मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के संयुक्त उतरी पाखी की दर्ज की जावे। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा इस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी हो खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 21-5-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी,
बीदासर (चूरू)

अंतिम डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम **बीदासर**

अमीलाल यादव आर.ए.एस.

हरकू देवी **बनाम** **अचू देवी आदि**

राजस्व वाद **विभाजन**

मुकदमा नम्बर **44 सन 2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू–ब–रू ....—........... हाजरी **वादीनी वकील अरविन्द चौधरी, लालचन्द जाट व पैरोकार राज** मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **वादीनी का वाद जरीये विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के अनुसार अंतिम रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा नम्बर 1259 तादादी 6.6267 हेक्टेयर, वाके रोही ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में वादीनी हरकू देवी पत्नी तोजाराम व गौण प्रतिवादीगण भींवाराम, लालाराम, सोहनराम पुत्रगण तोजाराम जाति जाट निवासीगण ढाणी रोही बीदासर का खेत खसरा नम्बर 1259 मिन 0.8283 हेक्टेयर दक्षिणी पाखी राजस्व रिकोर्ड में संयुक्त रखते हुए अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे। शेष भूमि मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के संयुक्त उतरी पाखी की दर्ज की जावे। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा इस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे। इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी हो खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक** 21/5/26 **को सरे इजलास सुनाया गया।**

चीज ....—.........मुबलिग.........—.........बाबत.........—.........

खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह.........—.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.........—.........को अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/5/26 माह ......—......20......

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर (चूरू)

मदई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
म्हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू — सत्यमेव जयते